न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 114/2018 दायरा दिनांक : 6 .07.2018

उनवान

पूरीलाल वल्द नन्दा, जाति मीणा, निवासी पोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गुड्डी बाई पत्नी रामचरण, उम्र 42 साल, जाति मीणा, निवासी कूकलवाडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– कालू वल्द नन्दा, जाति मीणा, निवासी पोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– कन्या बाई पुत्री नन्दा पत्नी मूलचन्द, जाति मीणा, निवासी पोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 63/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.12.2017 जिसके द्वारा वाद वादी डिक्री किया जाना मानकर ग्राम कूकलवाडा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 98 में खसरा नम्बर 487 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का हिस्सा 2/3 व खसरा नम्बर 499 रकबा 8 बिस्वा का हिस्सा 1/3 का रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादनी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर अपने हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार करने का आदेश दिया जो विधि पत्र संग्रहसार, नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है । प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 दिनांक 29.3.2016 व प्रतिवादी नम्बर 1 दिनांक 20.11.2017 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई .... अंकित है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 3 सगे भाई–बहन है मगर जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) लागू नहीं होती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2017 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.03.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तामील हुई है अथवा नहीं । इस कारण से प्रतिवादी संख्या 3 ने ही अपील की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे खिलाफ एक तरफा निर्णय भी पारित नहीं किया । मीणा जाति में महिलाओं का हिस्सा नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार कजोड को पक्षकार नहीं बनाया है, जो

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि कजोड व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पिता वादग्रस्त आराजी के खातेदार थे । वादग्रस्त आराजी कालू व कन्या से गुड्डी बाई ने खरीदी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पूरीलाल के नोटिस तामील हुए हैं । इसके बाद भी वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 03.06.2015 को नामान्तकरण खुल गया । पूरी लाल का हमारा कोई लेना देना नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 दिनांक 29.03.2016 व प्रतिवादी नम्बर 1 दिनांक 20.11.2017 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है । पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 29.03.2016 की बजाय दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करना पाया गया है और दिनांक 20.11.2017 को भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का कोई आदेश नहीं है । प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट की अनुपस्थिति बाबत कोई आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा